उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार

पिन कोड– 249404

संख्या :: **202/23/E-01/DR/PCS/2023-24** दिनाँक :: 15 मार्च, 2024

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2024 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त 189 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन दिनांक 14 मार्च, 2024 प्रकाशित किया गया है। जिन पदों के अधियाचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त पदों के अतिरिक्त स्नातक शैक्षिक अर्हता के अन्य पद जिनके अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व प्राप्त आयोग को प्राप्त होने की दशा में, उन पदों को इस परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता हैं, इस सम्बन्ध में पृथक से संशोधित विज्ञप्ति यथासमय प्रकाशित की जाएगी, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	पदनाम / विभाग	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
1.	जिला पूर्ति अधिकारी (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।
2.	उप सम्भागीय विपणन अधिकारी (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि अवश्य होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
3.	खण्ड विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
4.	सहायक निबन्धक (सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।
5.	सहायक श्रमायुक्त (श्रम विभाग)	सहायक श्रम आयुक्त के पद हेतु अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य / कल्याण, व्यापार प्रबन्ध, कार्मिक प्रबन्धन विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि अवश्य होनी चाहिए।

क्र0 सं0	पदनाम / विभाग	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
6.	सहायक निदेशक कारखाना / बॉयलर (श्रम विभाग)	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए।
7.	सहायक गन्ना आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपााधि।
8.	सहायक निदेशक, मत्स्य (पशुपालन विभाग)	(एक) मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में एम0एस0सी0 अथवा (दो) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुम्बई से द्विवर्षीय डिप्लोमा के साथ रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ बीएससी, अथवा (तीन) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मात्स्यिकी विज्ञान में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम।
9.	जिला समाज कल्याण अधिकारी (समाज कल्याण विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
10.	जिला पर्यटन विकास अधिकारी (पर्यटन विभाग)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन / होटल मैनेजेमेन्ट / सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो। (दो) हिन्दी–अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कम्प्यूटर का ज्ञान।
11.	प्रचार अधिकारी (पर्यटन विभाग)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसम्पर्क / पत्रकारिता / सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो। (दो) हिन्दी–अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कम्प्यूटर का ज्ञान।
12.	सहायक निदेशक / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी / केन्द्र प्रभारी (कृषि सेवा श्रेणी–2, विकास शाखा) (कृषि विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्षमान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
13.	उप निबन्धक श्रेणी–II (वित्त विभाग)	उप निबन्धक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।

क्र0 सं0	पदनाम / विभाग	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
14.	केस वर्कर (महिला कल्याण विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नाकोत्तर उपाधि।

आयोग की ओर से यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन से ससमय परिपूर्ण अधियाचन प्राप्त होने पर ही वर्तमान परीक्षा में उन पदों को सम्मिलित किया जाएगा, यदि किसी पद या उक्त सभी पदों के यथेष्ट अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा से पूर्व प्राप्त नहीं होते हैं, तो इन पदों पर अभ्यर्थियों का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा और नये पद जुड़ने की दशा में किसी भी अभ्यर्थी को नये सिरे से आवेदन–पत्र भरने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ससमय उक्त परीक्षा हेतु आवेदन कर लें।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।